न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र कुमार, आई०ए०एस० (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 200/14

1 किशनलाल पुत्र आनन्दीलाल, जाति गुर्जर, निवासी गोदल्याहेडी, हाल निवासी शिवपुरा, कोटा

वादी

वनाम

1 राजस्थान राज्य जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दिनांक : 14.11.2018

उपस्थिति : श्री मोहनसिंह सौलंकी, वादी अभिभाषक

निर्णय

1. वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट सपठित धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट एवं धारा 209 राज.टी.एक्ट अन्तर्गत आर्डर 7 नियम 1 सीपीसी पेश किया गया।
2. प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि –
वादी द्वारा अपना वाद पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम गोदल्याहेड़ी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी के गत खसरा नम्बर 58 रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा के वादी के पिता आनन्दीलाल पुत्र लाला जाति गुर्जर निवासी गोदल्याहेड़ी के खातेदार टीनेन्ट थे। वादी के पिता आनन्दीलाल जी की सम्पूर्ण आराजीयात वाके ग्राम गोदल्याहेड़ी के विभाजन की न्यायालय एस0डी0ओ0 कोटा द्वारा पारित डिक्री दिनांक 20.08.1971 से वादी को खसरा नम्बर 58 मे से 16 बीघा 5 बिस्वा ग्राम गोदल्याहेड़ी एवम् नारायण प्रसाद (भाई) को 16 बीघा 5 बिस्वा ग्राम गोदल्याहेड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा की प्राप्त हुई थी उक्त डिक्री दिनांक 28.08.71 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 53 दिनांक 23.09.71 से खसरा नम्बर 58 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा ग्राम गोदल्याहेड़ी वादी किशनलाल के नाम एवम् खसरा नम्बर 505/58 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा ग्राम गोदल्याहेड़ी नारायण प्रसाद के नाम दर्ज की गई थी। भूप्रबन्ध विभाग ने भू प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) के समय वादी के खसरा नम्बर 58 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा ग्राम गोदल्याहेड़ी का नया खसरा नम्बर 63 रकबा 2.13 हैक्टर एवम् नारायण प्रसाद के खसरा 505/58 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा ग्राम गोदल्याहेड़ी का नया खसरा 62 रकबा 2.80 हैक्टर ग्राम गोदल्याहेड़ी का कायम किया। 16 बीघा 5 बिस्वा का 2.64 हैक्टर रकबा (क्षेत्रफल) बनता है। सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट विभाग ने वादी के खाते की आराजी गत खसरा नम्बर 58 का नया खसरा नम्बर 63 कायम करके क्षेत्रफल 2.64 हैक्टर के बजाय 2.13 हैक्टर गलत कायम कर दर्ज किया। इस प्रकार वादी की आराजी में 0.51 हैक्टर कम दर्ज किया गया। नारायण प्रसाद के नये खसरा नम्बर 62 का क्षेत्रफल 2.80 हैक्टर दर्ज करके 0.16 हैक्टर अधिक दर्ज किया। गत खसरा नम्बर 58 एवम् खसरा नम्बर 505/58 के दक्षिण में Adjoining गत खसरा नम्बर 111 गैर मुमकिन रास्ता गोदल्याहेड़ी राजकीय आराजी स्थित है। वादी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्ष धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना

सहायक कलक्टर, कोटा
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक, कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गत खसरा नम्बर 58 व 505/58 के कायम किये गये वर्तमान खसरा नम्बर 63 व 62 के कुल रकबे (क्षेत्रफल) 4.93 को वादी एवम् नारायण प्रसाद को बराबर बराबर अर्थात 1/2, 1/2 करके नारायण प्रसाद के रकबे में से अधिक रकबे को कम करके वादी के खाते में सम्मिलित करके वादी एवम् नारायण प्रसाद का रकबा बराबर किया जाकर के राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे। न्यायालय ने निर्णय दिनांक 7.11.2012 पारित करके प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करके आदेश दिया कि ग्राम गोदल्याहेड़ी की आराजी खसरा नम्बर 62 क्षेत्रफल 2.80 हैक्टर में से 0.33 हैक्टर नारायण प्रसाद के खाते में से राजस्व रिकॉर्ड में कम किया जाकर खसरा नम्बर 63 क्षेत्रफल 2.13 हैक्टर में जोड़ते हुये खसरा नम्बर 63 का क्षेत्रफल 2.46 हैक्टर वादी किशनलाल के खाते राजस्व अभिलेख में दर्ज करके राजस्व रिकॉर्ड में रकबा बराबरी का इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र की प्रकरण संख्या 19/11 है। उपखण्ड अधिकारी कोटा के उक्त निर्णय दिनांक 7.11.12 की क्रियान्विती आज तक नही हुई है। खसरा नम्बर 63 का रकबा दुरस्त कर रकबा 2.46 हैक्टर राजस्व अभिलेख में दर्ज नही किया गया है। वादी इसी भ्रम में था कि सेटलमेन्ट विभाग में खसरा नम्बर 58 का रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा का नया खसरा नम्बर 63 कायम करते हुये भी 16 बीघा 5 बिसवां के बराबर ही हैक्टर प्रणाली से सही रकबा कायम किया होगा। वादी को ज्ञात हुआ है कि 16 बीघा 5 बिस्वा के हैक्टर प्रणाली से 2.64 हैक्टर होता है। हैक्टर प्रणाली के अनुसार वादी के खसरा नम्बर 63 का रकबा 2.46 हैक्टर एवम् इसी प्रकार खसरा नम्बर 62 का रकबा हैक्टर प्रणाली के अनुसार रकबा 2.64 हैक्टर सेटलमेन्ट विभाग द्वारा कायम करना चाहिये था। सेटिलमेन्ट विभाग को वादी के रकबे को कम दर्ज करने का अधिकार नही था। वादी की आराजी को गैर मुमकिन रास्ते में निकालने अथवा मिलाने का अधिकार नही था। सेटलमेन्ट विभाग को खसरा नम्बर 58 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा एवम् खसरा नम्बर 505/58 रकबा 16 बीघा 5 बिसवा ग्राम गोदल्याहेड़ी के रकबे को कम करके अन्य खसरा नम्बरों में शामिल करने का अधिकार नही था। सेटलमेन्ट विभाग ने खसरा नम्बर 63 ग्राम गोदल्याहेड़ी का रकबा 2.64 हैक्टर कायम करने के बजाय 2.13 हैक्टर कायम करके वादी की आराजी मे से 0.51 हैक्टर भूमि को कम लिया है। वादी 0.51 हैक्टर भूमि (आराजी) की कमी पूर्ति कराके राजस्व अभिलेख जमाबन्दी एवम् नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी के खाते की आराजी 63 ग्राम गोदल्याहेडी के खसरा नम्बर 63 रकबा 2.13 हैक्टर के बजाय 2.64 हैक्टर दर्ज किया जाकर राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती की जावे। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किये –

प्रदर्श–1 : ग्राम गोदल्याहेडी के खसरा नम्बर 58 रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा की नकल जमाबन्दी संवत 2016।
प्रदर्श–2 : ग्राम गोदल्याहेडी की संवत 2033–36 की नामान्तरकरण पंजिका की फोटाप्रति ।
प्रदर्श–3 : ग्राम गोदल्याहेडी के खसरा नम्बर 58 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा की नकल जमाबन्दी संवत 2033–36।
प्रदर्श–4 : ग्राम गोदल्याहेडी की सन् 56–57 का मौका नक्शा की नकल।
प्रदर्श–5 : ग्राम गोदल्याहेडी के संवत 2038–2057 का मिलान क्षैत्रफल।
प्रदर्श–6 : ग्राम गोदल्याहेडी के खसरा नम्बर 63 की नकल जमाबन्दी संवत 2067–2070।
प्रदर्श–7 : ग्राम गोदल्याहेडी के खसरा नम्बर 62 की नकल जमाबन्दी संवत 2067–2070।
प्रदर्श–8 : ग्राम गोदल्याहेडी के खसरा नम्बर 60 की नकल जमाबन्दी संवत 2063–2066।
प्रदर्श–9 : न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा के प्र. सं. 19/2011 के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की प्रति।
प्रदर्श–10 : ग्राम गोदल्याहेडी के खसरा नम्बर 62, 63 का मौका नक्शा वर्ष 2977

3. पत्रावली के बहस मे आने पर वादी वकील की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये उनके खाते दर्ज की गई आराजी का रकबा पहले से कम होने के कारण सेटलमेन्ट के पूर्वानुसार रकबा उनके खाते दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया। हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया।

4. सरकारी भूमि के रूप में खसरा नम्बर 60 जो गैरमुमकिन श्रेणी में आता है। गैरमुमकिन भूमि का आशय कृषि हेतु उपलब्ध नहीं रहना होता है। ऐसी भूमियां हल चलाने हेतु कृषि योग्य व

सहायक कलक्टर कोटा
अतिरिक्त कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

अयोग्य दोनों हो सकती है परन्तु रास्ते सार्वजनिक उपयोग की भूमियां होती है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान अनुसार सार्वजनिक उपयोग (रास्ते) की भूमि को किसी के भी खाते दर्ज किया जाना प्रतिबन्धित है। वादी द्वारा अपने समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज या अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किया किया है कि पूर्व में उनके खाते दर्ज आराजी को ही त्रुटिपूर्वक गैरमुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया गया है। वादी द्वारा अपने वाद में चाहा गया अनुतोष भी त्रुटिपूर्ण है। वादी द्वारा कथन किया गया है कि राजस्व अभिलेख में उनके 0.18 हैक्टर भूमि की दुरूस्ती की जाये किन्तु वादी ऐसा कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे है जिससे यह दर्शाया जा सके कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उनकी आराजी से कम कर किस अन्य खातेदार के खाते दर्ज कर दी गई है। स्पष्ट है कि वादी अपने द्वारा चाहे गये अनुतोष के लिये वांछित दस्तावेज पेश करने और आपने वाद को सिद्ध करने में असफल रहा है।

5. अतः सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 14 नवम्बर, 2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र कुमार, I.A.S. (P)

बउनवान :–

1 किशनलाल पुत्र आनन्दीलाल, जाति गुर्जर, निवासी गोदल्याहेडी, हाल निवासी शिवपुरा, कोटा (वादी)

बनाम

1 राजस्थान राज्य जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (प्रतिवादी)

दावा बाबत : 88 RTA
मुकदमा नम्बर : 200 / 14
निर्णय दिनांक : 14-11-2018

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से वादी अभिभाषक श्री मोहनसिंह सौलंकी की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 14–11–2018 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी अपने द्वारा चाहे गये अनुतोष के लिये वांछित दस्तावेज पेश करने और आपे वाद को सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 14.11.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा (राज.)

(देवेन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
		रूपया			रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		

सहायक कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner